बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

दिनांक <u>07.07.2026 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही</u> :

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, डिहरी परिक्षेत्राधीन सिंचाई प्रमंडल, भभुआ अंतर्गत ढडहर पम्प हाउस एवं लिंक नहर का निर्माण कार्य, एकरारनामा सं०–01SBD/2018-19 में समयवृद्धि के प्रस्ताव पर विचार हेतु आयोजित विभागीय निविदा समिति की बैठक में निम्न पदाधिकारियों ने भाग लिया :–

1. श्री चन्द्रशेखर सिंह, सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना।
2. श्री ब्रजेश मोहन, अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, पटना।
3. श्री अरविन्द कुमार वर्मा, आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, पटना।
4. श्री अजय कुमार सिंह, मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, डिहरी – ऑनलाईन

<u>कार्य की विवरणी :–</u>

कार्य का नाम	:	ढडहर पम्प हाउस एवं लिंक नहर का निर्माण कार्य।
प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	5771.00 लाख रूपये, विभागीय पत्रांक 1605 दिनांक 04.09.2018
एकरारनामा संख्या	:	01SBD/2018-19
एकरारित राशि	:	3407.88 लाख रूपये
विचलन सहित कुल एकरारित राशि	:	4381.83 लाख रूपये
संवेदक का नाम	:	बलवंत कन्स्ट्रक्शन प्रा० लि०, रामगढ़, कैमूर
कार्य प्रारंभ की तिथि	:	25.02.2019
कार्य पूर्ण करने की एकरारित तिथि	:	24.02.2021
प्रथम स्वीकृत अवधि विस्तार	:	30.06.2022 (विभागीय पत्रांक 1153 दिनांक 02.11.2021)
कार्य की अद्यतन स्थिति	:	100 प्रतिशत (कार्य पूर्ण)
कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि	:	30.06.2025
प्रस्तावित समय वृद्धि	:	30.06.2025 (द्वितीय)
प्रमंडल का नाम	:	सिंचाई प्रमंडल, भभुआ

<u>समीक्षा :–</u>

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, डिहरी परिक्षेत्राधीन सिंचाई प्रमंडल, भभुआ अंतर्गत ढ़ड़हर पम्प हाउस एवं लिंक नहर का निर्माण कार्य, एकरारनामा सं०–01SBD/2018-19 के समयवृद्धि हेतु मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, डिहरी के पत्रांक 372 दिनांक 02.02.2026 द्वारा अनुशंसा सहित प्राप्त प्रस्ताव की समीक्षा की गई है।

इस एकरारनामा अंतर्गत विभागीय पत्रांक 1153 दिनांक 02.11.2021 द्वारा दिनांक 30.06.2022 तक पूर्ण करने हेतु समयवृद्धि की स्वीकृति प्रदान की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि मुख्यतः निम्न कारणों से प्रथम विस्तारित समय अवधि तक कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका :–

(i) भूमि अधिग्रहण की प्रकिया के दौरान भू–मुआवजा हेतु ग्रामीणों द्वारा भू–मुआवजा हेतु निर्धारित दर से अधिक दर की मांग किये जाने तथा भू–स्वामियों के आपसी बँटवारे में हुए मतभेद के कारण कार्य बाधित होना।

(ii) कान्हापुर एवं धरहर के ग्रामीणों द्वारा लिंक नहर में अंडरपास की मांग किये जाने तथा लिंक नहर के बायें तरफ सेवापथ की मांग किये जाने के कारण कार्य बाधित होना।

(iii) लिंक नहर के रूपांकण में आवश्यक संशोधन होने के फलस्वरूप लिंक नहर के कार्य को पूर्ण करने में विलम्ब होना।

(iv) वर्षा ऋतु के कारण दिनांक 08.07.2022 से 15.09.2022 तक, दिनांक 15.06.2023 से 21.09.2023 तक एवं दिनांक 01.07.2024 से 31.10.2024 तक यथा कुल 292 दिन आंशिक कार्य छोड़कर शेष कार्य बाधित रहा।

(v) विभागीय पत्रांक 852 दिनांक 28.03.2024 द्वारा उक्त एकरारनामा अंतर्गत 08 अदद अतिरिक्त आउटलेट, लिंक नहर के के 0.018 कि०मी० पर under pass एवं 1.45 कि०मी० तथा 2.175 कि०मी० पर दो अदद RCC CD, 1.05 कि०मी० एवं 2.65 कि०मी० पर SLR Bridge तथा 0.642 कि०मी० पर DLR Bridge इत्यादि का विचलन के माध्यम से अतिरिक्त निर्माण कार्य कराया जाना।

कार्यकारी अवधि की गणना		
(1)	एकरारनामा के अनुसार कार्य करने की अवधि (दिनांक 25.02.2019 से 24.02.2021)	731 दिन
(2)	एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ करने की तिथि एवं कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि के बीच की अवधि (दिनांक 25.02.2019 से 30.06.2025)	2148 दिन
(3)	कुल बाधित अवधि	922 दिन
(4)	कार्यकारी अवधि (2–3)	1226 दिन

SBD एकरारनामा के Clauses of Contract की कंडिका 12.1 के अनुसार एकरारित राशि में वृद्धि के क्रम में कार्य को पूर्ण करने के लिए अवधि विस्तार दिये जाने का प्रावधान है। उक्त के आलोक में मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, डिहरी द्वारा उपरोक्त एकरारनामा अंतर्गत दिनांक 30.06.2025 तक समयवृद्धि दिये जाने का अनुशंसा के साथ प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

विभागीय निविदा समिति का निर्णय :–

सम्यक समीक्षोपरान्त् विभागीय निविदा समिति द्वारा विभागीय समयवृद्धि समीक्षा समिति के अनुशंसा पर सहमति प्रदान करते हुए ढ़डहर पम्प हाउस एवं लिंक नहर का निर्माण कार्य, एकरारनामा **सं०–01SBD/2018-19** में दिनांक 30.06.2025 तक की समयवृद्धि पर विभागीय निविदा समिति की स्वीकृति **प्रदान की जाती है।** समय विस्तार के फलस्वरूप कोई अतिरिक्त वितीय दावा मान्य नहीं होगा।

(अजय कुमार सिंह) मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, डिहरी	(अरविन्द कुमार वर्मा) आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, पटना	(ब्रजेश मोहन) अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन जल संसाधन विभाग, पटना	(चन्द्रशेखर सिंह) प्रधान सचिव जल संसाधन विभाग, पटना

पत्रांक : मो0–03–कार्य–डी0–3/25– 1637 पटना, दिनांक : 07/07/26

प्रतिलिपि : मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, डिहरी को विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अमरेन्द्र कुमार)
अधीक्षण अभियंता
यो० एवं मो० अंचल०–3, पटना।

पत्रांक : मो0–03–कार्य–डी0–3/25– 1637 पटना, दिनांक : 07/07/26

प्रतिलिपि : कार्यपालक अभियंता, आई० टी०, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(अमरेन्द्र कुमार)
अधीक्षण अभियंता
यो० एवं मो० अंचल०–3, पटना।